न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :–606/2023–24

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 46)

विगुल मुण्डा..आवेदक/विक्रेता } प्रथम पक्ष

निर्मल कुजूर...क्रेता

बनाम

राज्य सरकार...द्वितीय पक्ष

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
11.03.2024		

आदेश

आवेदक श्री विगुल मुण्डा पिता स्व0 जीतपहान मुण्डा ग्राम–कुलहूटु, थाना–कर्रा, जिला–खूँटी के द्वारा निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु (online) आवेदन किया गया है:–

भूमि का विवरण

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा(एकड़ में)
कुलहुटू	159	44	387	0.08

आवेदक के द्वारा समर्पित किये गये आवेदन पत्र के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि आवेदक श्री विगुल मुण्डा पिता स्व0 जीतपहान मुण्डा ग्राम–कुलहूटु, थाना–कर्रा, जिला–खूँटी को मकान निर्माण हेतु राशि की आवश्यकता है जिस कारण उनके द्वारा प्रश्नगत भूमि को क्रेता श्री निर्मल कुजूर पिता स्व0 पहना कुजूर ग्राम–गलालौंग, थाना–कर्रा, जिला–खूँटी को बिक्री करना चाहते है।

आवेदक अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं खतियान की छाया प्रति तथा लगान की रसीद 0478045123 की छाया प्रति उनके द्वारा प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त भूमि में किसी के द्वारा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। अंचल अधिकारी, कर्रा के पत्रांक 193 दिनांक 05.03.2024 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, कर्रा के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रश्नगत भूमि आवेदक के पूर्वजों की खतियानी भूमि है। खतियानी रैयत का नाम भाकु मुण्डा है। आवेदक पंजी II रैयतों में से एक के पौत्र है। प्रश्नगत भूमि की ऑनलाईन पंजी II के भाग सं0 1 के पृष्ट सं0 26 पर जमाबंदी दर्ज है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना कर्रा के निवासी हैं एंव एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं।

(4)

आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे में है, को मकान निर्माण हेतु विक्रय करना चाहते हैं।

अंचल अधिकारी, कर्रा के जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति के सदस्य एवं एक ही थाना के निवासी है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों की ओर से एक जिला के निवासी होने एवं अनुसूचित जाति के सदस्य होने के प्रमाण में शपथ पत्र संख्या 541 दिनांक 12.03.2023 के साथ अंचल अधिकारी, कर्रा के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र सं0– JHCST/2023/29516 दिनांक 14.02.2023 वो आवासीय प्रमाण पत्र सं0– JHLRCO/2023/55614 दिनांक 23.03.2023 एवं आधार कार्ड की छायाप्रति दाखिल किया गया है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। उपरोक्त प्रमाण पत्रों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति के सदस्य है तथा एक ही थाना के निवासी है। अंचल अधिकारी, कर्रा ने आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुशंसा किया हैं।

अतः अंचल अधिकारी, कर्रा के पत्रांक 193 दिनांक 05.03.2024 के माध्यम से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन तथा अनुशंसा एवं अभिलेख के साथ संलग्न कागजातों के आधार पर आवेदक श्री विगुल मुण्डा पिता स्व0 जीतपहान मुण्डा ग्राम–कुलहूटु, थाना–कर्रा, जिला–खूँटी को क्रेता श्री निर्मल कुजूर पिता स्व0 पहना कुजूर ग्राम–गलालौंग, थाना–कर्रा, जिला–खूँटी के साथ ग्राम कुलहुटू के खाता सं0 44 खेसरा संख्या 387 रकबा 0.08 एकड़ भूमि को बाजार दर या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, तोरपा के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा। अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
खूँटी।

11/03/24

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
खूँटी।

Digitally signed by Emart
Date: 2024.04.02 13:40:23 +05:30
Location: 192.168.1.104